

कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
संख्या ०५ /निविमावि-मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन/२०११
लखनऊ, दिनांक ०३ नवम्बर २०१२

—: कार्यालय-ज्ञाप :-

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-सा.का.नि. 792(अ), दिनांक 02 नवम्बर, 2011 द्वारा केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 13 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में, विधिक माप विज्ञान (ऐकेज में रखी वस्तुएँ) नियम, 2011 के नियम 32 और उक्त अधिनियम की धारा 18, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 33, धारा 34, धारा 35 और धारा 36 के उपबंधों से सम्बन्धित निदेशक, विधिक माप विज्ञान द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के विधिक माप विज्ञान नियंत्रक को राज्य सरकार की सहमति से, प्रत्यायोजित किया गया है।

अतः मैं राम चन्द्र, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश लखनऊ विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा-13 की उप धारा (7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अन्तर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 18, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 33, धारा 34, धारा 35 और धारा 36 के उपबंधों के अधीन निरीक्षण एवं अभियोजन हेतु समस्त उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक वर्ग-1, सहायक नियंत्रक वर्ग-2, ज्येष्ठ निरीक्षक एवं निरीक्षक विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तर प्रदेश को, और विधिक माप विज्ञान (ऐकेज में रखी वस्तुएँ) नियम, 2011 के नियम 32 तथा अधिनियम की धारा 18, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 33, धारा 34, धारा 35 एवं धारा 36 के अधीन अभियोजित मामलों के शमन द्वारा निस्तारण हेतु उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक वर्ग-1 एवं सहायक नियंत्रक वर्ग-2, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तर प्रदेश को जनहित में प्रत्यायोजित करता हूँ।

03/11/2012
(राम चन्द्र)
नियंत्रक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3— समस्त जिलाधिकारी/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4— समस्त उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 5— समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तर प्रदेश।

03/11/2012
(राम चन्द्र)
नियंत्रक।